न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0 प्र0
==

R-516-II/13

सुरेश एवं वीरेश कुमार खरे तनय स्व. श्रीभवानी प्रसाद खरे, निवासी पपौरा चौराहा टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

---- पुनरीक्षणकर्तागण

श्री आर. कुमार मिश्रा एडवो. द्वारा आज दि 6-2-13 को प्रस्तुत
6-2-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. शासन म0प्र0 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2. श्री मति रजनी पत्नी राकेश खरे प्रतिपुनरीक्षण, निवासी ग्राम कुंवरपुरा तह0 व जिला टीकमगढ़

---- प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

Ramshree Adv.
(आव. कुमार मिश्रा)

राजस्व पुनरीक्षण प्रतिकूल निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 9/1/12 के विरूद्ध एवं से व्यथित होने के कारण जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन आदेश (प्रत्यावर्तित) पारित कर प्रकरण में पुनः कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित करने के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है :-

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता

महोदय,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा रही है:-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2010-11 में पारित आदेश विधि-विधान, वाक्यात एवं प्रमावली के पूर्णतः विपरीत मिथ्या एवं निराधार आधारों पर पारित निर्णय व आदेश दिनांक 9/1/12 निरस्ती योग्य है ।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधूरा, अस्पष्ट एक पक्षीय एवं शीघ्रता में पारित होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य न होकर निरस्ती योग्य है म

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-516-दो/2013

जिला-टीकमगढ़

<u>सुरेश एवं वीरेश</u> <u>विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-टीकमगढ़, के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 09-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-02-2013 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य